



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276885
CG-DL-E-07102026-276885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5248]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5248]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5458(अ).—यह कि, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22वां) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 9 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि डेटा फिज्यूशरी, किसी बच्चे या विकलांग व्यक्ति, जिसका कोई कानूनी अभिभावक हो, के किसी भी वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले, ऐसे बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक, जैसा भी मामला हो, से उसकी विधिवत रूप से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करेगा;

और यह कि, "दिव्यांग व्यक्ति" की अभिव्यक्ति से पहले "के" पूर्वसर्ग के लोप से "बालक के किसी भी वैयक्तिक डेटा" और अभिव्यक्ति "दिव्यांग व्यक्ति" के बीच एक असंबद्धता उत्पन्न होती है, जिससे दोनों श्रेणियों के बीच अभिप्रेत समानांतरता और विधिक आशय की स्पष्टता, अस्पष्ट हो जाती है;

और यह कि, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में यह अधिदेशित किया गया है कि महत्वपूर्ण डेटा फिज्यूशरी, डेटा ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करेगा, जबकि खंड (ग) के उप-खंड (ii) में महत्वपूर्ण डेटा फिज्यूशरी द्वारा आवधिक रूप से ऑडिट करने का अधिदेश दिया गया है;

और यह कि, "ऑडिट" शब्द की पुनरावृत्ति से ऑडिट की दोनों श्रेणियों के दायरे के बारे में व्याख्यात्मक अस्पष्टता उत्पन्न होती है और अनुपालन संबंधी दायित्व के दायरे को स्पष्ट करने और विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरणों द्वारा असंगत प्रयोग को रोकने की आवश्यकता होने, और उक्त अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप, यह स्पष्ट करती है कि ऑडिट के दोनों संदर्भों का तात्पर्य "डेटा संरक्षण ऑडिट" या "डेटा ऑडिट" से है;

और यह कि, उक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्र सरकार, कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होने पर राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों;

और जबकि, उक्त धाराओं में चिह्नित की गई ऐसी कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है, जो पाठगत, संपादकीय प्रकृति की हैं और उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के प्रयोजनों के लिए हैं, तथा उक्त प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 के उप-धारा (1) और धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (ii) के प्रावधानों में विधायी आशय के अनुरूप विसंगतियों को ठीक करने के लिए हैं;

अतः, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22वां) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रवृत्त होना.- (1) इस आदेश को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2026 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. उक्त अधिनियम में, -

(i) धारा 9 में, उप-धारा (1) में, "बालक या दिव्यांग व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "बालक या ऐसे दिव्यांग व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) धारा 10 में, उप-धारा (2) में, खंड (ग) में, उप-खंड (ii) में, "ऑडिट" शब्द के लिए, "डेटा ऑडिट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. एए-11038/8/2025-सीएल एंड ईएस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 5th October, 2026

S.O. 5458(E).—Whereas, sub-section (1) of section 9 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023) (hereinafter referred to as the said Act) provides that the Data Fiduciary shall, before processing any personal data of a child or a person with disability who has a lawful guardian obtain verifiable consent of the parent of such child or the lawful guardian, as the case may be, in such manner as may be prescribed;

And whereas, the omission of the preposition “of” before the expression “a person with disability” creates a disjunction between “any personal data of a child” and the expression “a person with disability,” thereby obscuring the intended parallelism between the two categories and the clarity of legal intent;

And whereas, clause (b) of sub-section (2) of section 10 of the said Act mandates that the Significant Data Fiduciary shall appoint an independent data auditor to carry out data audit, while sub-clause (ii) of clause (c) thereof mandates the carrying out of periodic audit by the Significant Data Fiduciaries;

And whereas, the repetition of the word “audit” creates interpretive ambiguity regarding the scope of both categories of audit and a need has been felt to clarify the scope of the compliance obligation and prevent inconsistent application by regulatory or supervisory authorities, and in keeping with the object of the said Act, clarify that both references to audit are intended to refer to a “data protection audit” or “data audit”;

And whereas, sub-section (1) of section 43 of the said Act, provides that if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty;

And whereas, there is a need to remove the difficulties identified in the said sections, which are textual, editorial in nature and for the purposes of giving effect to the provisions of the said Act, and for the said purposes to rectify the anomalies in the provisions of sub-section (1) of section 9 and sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 10 of the said Act in accordance with the legislative intent;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), the Central Government hereby makes the following Order, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Digital Personal Data Protection (Removal of Difficulties) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said Act,—

(i) in section 9, in sub-section (1), for the words “ child or a person with disability,” the words “child or of a person with disability ”shall be substituted;

(ii) in section 10, in sub-section (2), in clause (c), in sub-clause (ii), for the word “audit”, the words “data audit” shall be substituted;

[F. No. AA-11038/8/2025-CL&ES]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.